

कर्मक:—एफ-7(4)अकाद/अकाशि/ऑनलाईन/रिफ्रेशर/राज0 विश्व0/जयपुर/2021/200

दिनांक:—24-8-2021

प्राचार्य,
सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय:—राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा आयोजित ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स में सह/सहायक आचार्यों के मनोनयन बाबत ।

संदर्भ:—निदेशक, एचआरडीसी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के पत्रांक एचआरडीसी/ 2021/ 147 दिनांक 4.07.2021 एवं आयुक्तालय के पत्रांक 195 दिनांक 17 अगस्त 2021 के संदर्भ में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा दिनांक 02.09.2021 से 15.09.2021 तक ऑनलाईन रिफ्रेशर कोर्स (Refresher Course in Human Rights Jurisprudence in India (Interdisciplinary)) आयोजित किया जा रहा है। आयुक्तालय के पत्रांक 195 दिनांक 17 अगस्त 2021 के द्वारा 16 सह/सहायक आचार्यों को उक्त कोर्स हेतु मनोनीत किया गया था । उक्त पत्र की निरन्तरता में उक्त रिफ्रेशर कोर्स हेतु निम्न 5 सहायक/सह आचार्यों को मनोनीत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम (सह/सहायक आचार्य)श्री/ सुश्री/ डॉ०/ श्रीमती	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स का नाम	कोर्स की अवधि
1.	मेहबूब खान मुगल	भूगोल	राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़	रिफ्रेशर	02.09.2021 से 15.09.2021
2.	मोहन लाल दायमा	राजनीति विज्ञान	राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़	रिफ्रेशर	02.09.2021 से 15.09.2021
3.	नरेन्द्र कुमार	राजनीति विज्ञान	राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर	रिफ्रेशर	02.09.2021 से 15.09.2021
4.	ईश्वर चन्द्र शर्मा	राजनीति विज्ञान	राजकीय महाविद्यालय, रोहट, जिला पाली	रिफ्रेशर	02.09.2021 से 15.09.2021
5.	ऋचा अंगिरा	राजनीति विज्ञान	राजकीय महाविद्यालय, शाहपुरा (भीलवाडा)	रिफ्रेशर	02.09.2021 से 15.09.2021

प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें :-

1. प्राचार्य उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें, जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो ।
2. सम्बन्धित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैण्ड-चतुर्थ के लिये आवश्यक कोर्स कर रख हैं, तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी । प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर सम्बन्धित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात् एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा ।


(डॉ सौमित्र नाथ झा)

संयुक्त निदेशक(अकादमिक)

दिनांक :- 24-8-2021

कर्मक:—एफ-7(4)अकाद/अकाशि/ऑनलाईन/राज0 विश्व0/जयपुर/2021/200

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, एचआरडीसी, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को उनके पत्रांक एचआरडीसी /2021/147 दिनांक 14 जुलाई 2021 के क्रम में, आयुक्तालय के पत्रांक 195 दिनांक 17 अगस्त 2021 की निरन्तरता में प्रेषित है।
2. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को अपलोड करने हेतु ।


(डॉ सौमित्र नाथ झा)

संयुक्त निदेशक(अकादमिक)